



कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

website: www.education.rajasthan.gov.in/elementary
email: aayukt.ele@gmail.com

Phone: 01512226551

--:आदेश:-

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक: एफडी(ग्रुप-2)/76 जयपुर, दिनांक: 11.06.1984, 18.08.1989 व 02.05.1998 एवं संशोधित आदेश No. F10(4) FD Rules/76 Dated: 12 September, 2008 एवं संशोधित आदेश No.F6(6) FD/ Rules/2010 Dated: 25.04.12 के प्रावधानानुसार चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रियांबड़ी, (नागौर) की अनुशांषा के आधार पर, श्री भवानी सिंह पड़िहार, अध्यापक, रा.प्रा.वि., लूंगीया (बीजाथल) पं.स. रियांबड़ी, (नागौर) को कार्यालय में पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने के दिनांक: 08.01.2021 से Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules, 2012 के अन्तर्गत उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु 600/- रुपये (अक्षरें रुपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं का मासिक विकलांग भत्ता निर्देशानुसार स्वीकृत किया जाता है।

श्री भवानी सिंह पड़िहार, अध्यापक, को यह भत्ता अवकाश दिवसों (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, दशहरा अवकाश, दीपावली अवकाश, कार्यभार सम्भालने हेतु मिलने वाले समय तथा निलम्बन अवधि के लिए देय नहीं होगा।

निदेशक महो. की आज्ञा से



उप निदेशक


प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शि.सं./एफ-4/1053/वि.भत्ता/अजमेर मण्डल/2021

दिनांक: 02/03/2021

प्रतिलिपि :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर को विकलांगता प्रमाण पत्र (मूल) सहित। 
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रियांबड़ी, (नागौर)।
3. श्री भवानी सिंह पड़िहार, अध्यापक, रा.प्रा.वि., लूंगीया (बीजाथल) रियांबड़ी, (नागौर)
4. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर